

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

अबोलुदीम बनाम फजलु श्या (वगैरा)

किरम मुकदमा ..... वाद पत्रा नं० 10 सन 2020

नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------	----------------------------------	--

2-20

✓ वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयों को सम्मन नोटिस जारी किये जाते । पत्रावली दिनांक 24-3-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक काररवान माण्डल

24/3 पत्रावली पेश हुई, अभिजापकगण द्वारा न्यायिक कार्य समाप्त / दक्षिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 26-3-20

26/3

कार्य प्रयाप्त / पररिक्त है। पत्रावली दिनांक 14-7-20 को पेश हो। रीपदीगज क लम्मन वाड ताफिला दिये जावत उप क्रिसे-श. फ डिप गामे।

14-7-20 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया, पक्ष की पहचान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार व्यास ने की एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की पहचान अधिवक्ता श्री अब्दुलखदीद पठान द्वारा की गई, उभयपक्षों को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया, सुन समक्ष सदीमान स्वीकार किया, उसी अनुसार वाद पत्रा को निस्तारण किये जाने की ई स्तुडआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा आपसी राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला मीतवाड़ा

प्रदीप कुमार  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
14.7.20  
अदालत

निर्वाचित  
पत्रावली  
admission  
Gru



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की  
में जारी

पर मन्न किया, व्यायहित में प्रस्तुत आपसी राजी  
नामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर  
आदेश दिया जाता है कि ग्राम रूपपुर पखर हल्का  
लुहारिया II तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में  
स्थित आराजी नं. 396, 397, 398, 399, 401,  
623/400, 630/400, 631/400, 690/395, 691/395  
कुल कित 10 कुल रकबा 10.16 बीघा में से  
सूतक सह खातेदार गुलशन बानो पर्ना बुर खां का  
नाम राजस्व अभिलेख से हटाने एवं आपसी राजी  
नामा अनुसार उपरोक्त आराजियात में वादी को  
1/4 एक हिस्से की आराजियात का प्रतिवादी व्यत्यय  
0.1 लगायत 03 के साथ सह खातेदार द्योषित ठिया  
जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्ता अनुसार भूमि में  
वादी का 1/4 एक हिस्सा राजस्व वेकार्ड में दर्ज  
करे। तदनुसार डिवी जारी हो। बर्चा फरिजे  
अपना-अपना वहम करे।

पत्रावली फेरल शुमार होकर दफ्तर दारिख हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

डिक्री

( आठ 20 नियम 6 / जापसी 0 )

अज अदालत उपरखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री साहिपाल सिंह ( आ१०/१९९० )

अनवान प्रकरण

श्री अलालुद्दीन वल्द नूर खां मुसलमान निवासी - रूपपुरा मजरा लुहारिया  
तहसील - माण्डल जिला भीलवाड़ा हाल निवासी तथा कालोनी शोमापुर  
तहसील सुहागपुर जिला हीशारगोबाद मध्यप्रदेश

वारी

बनाम

श्री फजलु खां वल्द श्री नूर खां मुसलमान निवासी - रूपपुरा मजरा लुहारिया  
तहसील - माण्डल  
श्री अहमद खां वल्द श्री नूर खां मुसलमान निवासी —————  
मुं बीसी वी पुगी श्री नूर खां मुसलमान निवासी रूपपुरा मजरा लुहारिया  
तहसील हाल निवासी चमारिया खेड़ा तहसील - माण्डल  
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवादी


वाद अन्तर्गत धारा 88 मुकदमा नं०/वर्ग 10/20 निर्णय दिनांक 14-7-20

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व डिजरी बकाल वही

मिनजानिव मुददई व श्री प्रदीप कुमार व्यास <sup>Attor</sup> नामित मुदाबरात पेश होकर मुकद

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः आपसी राजीनामानुसार वादी का वादपत्र  
स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रूपपुरा पखार हल्का लुहारिया II  
तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं० 396, 397, 398, 399, 401,  
623/400, 630/400, 631/400, 630/395, 631/395 कुल क्तिता 10 कुल रकबा 10.16 बीघा  
में से मृतक सह खातेदार शुभश्रम बानो पत्नी नूर खां का नाम राजस्व अभिलेख से  
हटाया जाने का आदेश दिया जाता है एवं उपरोक्त आराजियात में वादी का 1/4 एक  
हिस्से की आराजियात का प्रतिवादी नं०- धनगायत 03 के साथ सह खातेदार  
द्योषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उन्वानुसार  
भूमि में वादी का 1/4 एक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।  
स्वर्चा फरिक्तेन अपना - अपना वहन करे।

आज तारीख 14-7-20 को नर इस्लाम न्यायालय को मांडल में जारी की गई।

  
उपरखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा